



□□□□□□ □□□□□

जनसत्ता, 7 सतिंबर, 2014: सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संवधान पीठ क फैसला आ गया है क उत्तर प्रदेश सरकारी भाषा (संशोधन) कनून 1989 संवधानसम्मत है और राज्य में उर्दू के सरकारी कामकाज की दूसरी भाषा घोषित करने क फैसला सही है। इस मामले में ध्यान देने की बात है क कनून के संवधान केवरिद्ध बता क मुकद्दमा ल ने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्क उत्तर प्रदेश हदी साहित्य सम्मेलन था। यानी हदी-उर्दू की ल आई अभी तक जारी है। उर्दू अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज की दूसरी भाषा बन जाती है, तो इससे हदी के क्या नुकसान होने वाला है?

आजादी मल्लिने केबाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे भारत की राजभाषा क दर्जा पाने केबाद भी हदी के उर्दू केकरण इतनी असुरक्षा क्यों महसूस होती है? क्या इस गर्न्थके पीछे केवल ऐतहासिककरण है या सांप्रदायिक सोच भी है, क्योंक उर्दू अब केवल मुसलमानों की भाषा बन क रह गई है? दूसरे, यह देखना भी जरूरी होगा क क्या बार-बार सुना जाने वाला यह वलाप वास्तविकता पर आधारित है क स्वाधीन भारत में उर्दू की हालत बहुत खराब है?

2001 में हुई जनगणना में जो आंकड़े सामने आे उनसे पता चलता है क बाईस अनुसूचित भाषाओं में हदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी और तमलि केबाद उर्दू छठे स्थान पर है। यानी वह गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी और असमिया से ऊपर है। 2001 की इस जनगणना क यह भी कहना है क पूरे देश की आबादी क 5.01 प्रतिशत उर्दूभाषी था और पांच करोड़ पंद्रह लाख व्यक्तियों ने उर्दू के अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमलिनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल-ये दस राज्य ऐसे हैं जिनमें पूरे देश में उर्दू बोलने वालों की संख्या के प्रतिशत से अधिक लोग रहते हैं। इनमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में देश की कुल उर्दूभाषी आबादी क 85.8 प्रतिशत लोग रहते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में उर्दूभाषियों की संख्या देश की कुल उर्दूभाषी आबादी के एक चौथाई से भी अधिक है।

जनगणना से एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी पता चली है क हालांकि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है, लेकिन केवल मुसलमानों ने उर्दू के अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया है। यानी उर्दू क मुसलमि समुदाय के साथ नाता वास्तविक है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और पूरी बीसवीं सदी क इतहास साक्षी है क हदी और उर्दू के कंधों पर बंदूक रख क हद्दी और मुसलमि सांप्रदायिकता ने अपनी लड़कियां ली हैं। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया, जब इस नरिर्थक झगड़े को समाप्त किया जाे और लोकांतरिक भारत में हदी के साथ-साथ उर्दू के भी उचित स्थान दिया जाे ?

हदी और उर्दू के एक ही भाषा की दो शैलियां या जुवां बहनें कहने वालों की भी कमी नहीं है। क्या ऐसी स्थिति स्वीकार्य हो सकती है, जिसमें एक शैली या एक बहाने सहिासन पर बैठी हो और दूसरी के अपने अस्तित्व के लड़कियां लीं ना पड़े रहा हो? दरअसल हदी और उर्दू के एक ही भाषा की दो शैलियां कहने के पीछे भी कई बार यह दृष्टि होती है क एक भाषा के रूप में उर्दू क स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है और वह तो खली बोली हदी की ही एक शैली है। लेकिन 1932 में प्रकशित पुस्तक 'हदी, उर्दू और हदुस्तानी' में पद्मसहि शरमा ने इस सचचाई के स्वीकार क लिया था क 'हदी-उर्दू बलिकुल जुदा दो भाषाएं बन गई हैं। ... प्रचलित ठेठ हदी शब्दों क बहिकार और उनकी जगह अरबी, फरसी या संस्कृत शब्दों की भरमार भाषा-भेद क एक प्रधान कारण है। यह प्रवृत्ति पहले नहीं थी।'

जसि तरह हद्दी के झंडाबरदार उसकी प्रगति के राह में रोके अटकते रहे हैं, उसी तरह उर्दू के हमियती उसे आगे बढ़ने से रोकते रहे हैं। दोनों की पूरी केशशि कऐसी भाषा गने की है जसि कम से कम लोग समझ सकें यानी जो भाषा के उद्भव की बुनियादी शर्त के ही विरुद्ध हो। हमें भाषा की जरूरत इसलिये पती है ताकि हम दूसरों के साथ संवाद कर सकें, उनकी बात समझ सकें और अपनी बात समझा सकें। लगभग बारह-तेरह साल पुरानी बात है। मुझे पता चला कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उर्दू पर एक सेमिनार हो रहा है, जसिमें देशी-वदेशी विद्वान, कुछ राजनेता और हद्दी के जाने-माने साहित्यकार राजेंद्र यादव भाग ले रहे हैं। उत्सुकतावश मैं भी चला गया।

सैयद शहाबुद्दीन समेत कई मुसलमि वक्ता बोले, जनिमें खुरशीद आलम खां भी शामिल थे। मैं औरों की बात के काफी कुछ समझ गया, लेकिन खुरशीद आलम खां का अधकिंश भाषण मेरे पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि वे इतनी अरबी-फरसी में लपिटी उर्दू बोल रहे थे जसि समझना मेरे लिये संभव नहीं था। जब राजेंद्र यादव ने बोलना शुरू किया, तो उपस्थिति उर्दूप्रेमी समुदाय ने टोक-टोकी शुरू कर दी। वापस आते हुए मैं पूरे रास्ते सोचता रहा कि क्या इसी रास्ते पर चल कर उर्दू तरक्की करेगी?

मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि खड़ी बोली के स्वभाव के विपरीत उर्दू वाले कन्नचन को बहुवचन बनाते समय फरसी की नक्ल क्यों करते हैं? खुरशीद आलम खां का पहला वाक्य ही था: 'अभी आप हजरात ने जो तकरीर सुनी...' और मैं सोचने लगा कि तकरीर की जगह तकरीरें क्यों नहीं कहा जा सकता, जो खड़ी बोली की प्रकृति के अनुरूप है। अक्सर आपने लोगों के 'हालातों' बोलते हुए सुना होगा। दरअसल, वे खड़ी बोली के स्वभाव के अनुसार हालात के कन्नचन समझ कर उसका बहुवचन बनाते हैं। हद्दी और उर्दू संभवतः विश्व की अकेली ऐसी दो भाषाएँ हैं, जनि का भाषिक आधार एक है। 'मैं बाजार जा रहा हूँ' हद्दी का वाक्य है या उर्दू का?

फरिाक गोरखपुरी का कहना था कि भाषा क्रियापद के कारण अलग होती है और अगर किसी वाक्य में अधकिंश शब्द किसी दूसरी भाषा के हों, तो भी उसे उसी भाषा का वाक्य माना जा सकता है। जसि भाषा के क्रियापद का इस्तेमाल किया गया है। इस दृष्टि से हद्दी और उर्दू वास्तव में एक ही भाषा हैं। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि उनका साहित्यिक और वैचारिक रूप एक दूसरे से बलिकुल भिन्न हो चुका है और अब खड़ी की सुइयों के पीछे नहीं घुमाया जा सकता। लेकिन इस बात की केशशि तो की ही जा सकती है कि इन दो रूपों के बीच का फसला जतिना कम किया जा सके, किया जाय और इसके लिये हद्दीवालों और उर्दूवालों, दोनों के केशशि करनी होगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब 1974 में भारतीय भाषा केंद्र खुला, तो उसमें हद्दी और उर्दू के दो प्रख्यात आलोचक नामवर सहि और मुहम्मद हसन- प्रोफेसर बन कर आये। उन्होंने जो पाठ्यक्रम तैयार किया, वह बेहद आधुनिक और लगभग क्रांतिकारी था। हद्दी के विद्वानों के लिये उर्दू सीखना और उसके बेसिक केर्स में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था और उर्दू के विद्वानों के लिये हद्दी का आज भी शायद ही देश का कोई और विश्वविद्यालय हो जहां ऐसी व्यवस्था है।

क्या उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पहली कक्षा से ही स्कूली बच्चों को हद्दी और उर्दू- दोनों भाषाएँ नहीं पढ़ाई जा सकती? दोनों भाषाओं का ज्ञान ही उन्हें इस क्षेत्र की गंगा-जमुनी कही जाने वाली संस्कृति से परिचित कर सकता है। इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि उर्दू जानने वाले हद्दी लेखकों का गद्य बहुत साफ-सुथरा होता है, क्योंकि उसमें दोनों भाषाओं के शब्द इस तरह मलि कर आते हैं जैसे दूध में चीनी। प्रेमचंद, शमशेर और नामवर सहि का गद्य इसकी मसाल है। उर्दू की जानकारी के अभाव में हद्दी वाली 'खुलासा' और 'खलिफत' जैसे शब्दों को उन अर्थों में इस्तेमाल करते जायेंगे, जनिहें सुन कर उर्दू वाले गश खाकर गरि पड़ेंगे।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>